


कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जांजगीर-चांपा (छ0ग0)

सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 (1) के अनुसार 17 श्रेणियां

बिन्दु क्रमांक 01 :- अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य

(खनिज शाखा) खनिज संसाधन विभाग मंत्रालय का महत्वपूर्ण शाखा है। इसके अंतर्गत जिले में पाये जाने वाले खनिज मुख्य खनिज लाईम स्टोन एवं गौण खनिज डोलोमाईट, निम्न श्रेणी चूना पत्थर, मुरुम, रेत, मिट्टी (ईट) आदि खनिजों के संचालित/स्वीकृत पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति, खनिपट्टा, उत्खनिपट्टा एवं भण्डारण, अस्थाई अनुज्ञापत्र जैसे खनि रियायतों एवं ई-नीलामी/ई-टेण्डर से संबंधित समस्त कार्य एवं अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम इत्यादि कार्यों का सम्पादन किया जाता है तथा राजस्व राशि खनिज मद में जमा करायी जाती है।

खनिज शाखा जांजगीर-चाम्पा (FLOW CHART)



छ0ग0 गौण खनिज नियम 2015 के प्रावधानों के तहत गौण खनिजों के स्वीकृत उत्खनिपट्टों एवं खनिजों के अवैध उत्खनन/परिवहन की रोकथाम हेतु जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल का गठन किया गया तथा जिले के चाम्पा, बनाहिल, एवं खटोला में खनिज जॉच चौकी (बेरियर) स्थापित है। जिसमें राज्य सड़क परिवहन/राज्य खनिज विकास निगम के प्रतिनियुक्त कर्मचारी पदस्थ हैं। विभाग प्रमुख-संचालक भौमिकी तथा खनिकर्म छ0ग0 नया रायपुर एवं सचिव खनिज संसाधन विभाग छ0ग0 शासन मंत्रालय तथा जिला प्रशासन के दिशा निर्देशानुसार विभागीय कार्यों का संपादन किया जाता है।

बिन्दु क्रमांक 02 :- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य:-

खनिज शाखा में पदस्थ अधिकारी के अधिकारिता क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक कर्तव्य भी निहित है। जिला स्तर पर खनि अधिकारी (खनिज शाखा) को वित्तीय अधिकार प्राप्त हैं। खनि अधिकारी खनिज शाखा

बिन्दु क्रमांक 08 :- बोर्ड, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण, जिसमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति हों और जिसकी स्थापना इसके भाग के रूप में अथवा इसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई हों, और यह विवरण कि क्या इन बोर्ड, परिषदों समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लिए खुली हैं अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैं :-

-: खनिज शाखा अन्तर्गत टास्क फोर्स समिति का गठन किया गया है, जिसमें कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, वन मण्डलाधिकारी, खनि अधिकारी सदस्य हैं। बैठक कार्यवृत्त लोगो के लिए हैं।

बिन्दु क्रमांक 09 :- अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निदेशिका :-

खनिज शाखा के अन्तर्गत अधिकारी एवं कर्मचारियों की निर्देशिका संघारित है।

बिन्दु क्रमांक 10 :- अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा विनियमों में यथा उपलब्ध क्षतिपूर्ति की प्रणाली सहित प्राप्त किया गया मासिक पारिश्रमिक -निरंक।

बिन्दु क्रमांक 11 :-सभी योजनाओं, प्रस्तावित परिव्यय और किए गए आहरणों संबंधी रिपोर्ट सामग्री को दर्शाते हुए इसके अभिकरण को आबंटित बजट:-

01.खनिज शाखा में योजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है।

02.गौण खनिजों से प्राप्त राजस्व का त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगरीय निकायों के मध्य संवितरण हेतु शासन से प्राप्त आबंटित राशि आहरण कर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जांजगीर-चाम्पा को संवितरण किया जाता है।

03 नियमित रूप से मासिक व्यय पत्रक विभाग प्रमुख कार्यालय को भेजा जाता है।

बिन्दु क्रमांक 12 :-आबंटित राशि सहित सब्सिडी कार्यक्रमों के निष्पादन का ढंग और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों का व्यौरा -निरंक।

बिन्दु क्रमांक 13 :- अपने द्वारा मंजूर की गई रियासत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकारी के प्राप्तकार्ताओं का विवरण-निरंक।

बिन्दु क्रमांक 14 :- अपने पास इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध अथवा धारित की गई सूचना के संबंध में व्यौरा:-

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्राप्त आवेदन पत्रों पर उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत आवेदक को जानकारी उपलब्ध करायी जाती है।

बिन्दु क्रमांक 15:- सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं के ब्यौरे, जिनमें जनसाधारण के लिए उपलब्ध पुस्तकालय या वाचन-कक्ष के ब्यौरे भी सम्मिलित हों-निरंक।

बिन्दु क्रमांक 16 :- लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां।

श्री किशोर कुमार गोलघाटे खनि अधिकारी/जन सूचना अधिकारी जिला कार्यालय (खनिज शाखा) जांजगीर-चाम्पा।

बिन्दु क्रमांक 17 :- अन्य जानकारियां संलग्न।

खनिज शाखा अन्तर्गत कर्मचारियों की पदस्थापना से संबंधित जानकारी

क्रमांक	पद का नाम
1	खनि अधिकारी
2	सहायक खनि अधिकारी
3	खनि निरीक्षक
4	सहायक ग्रेड-02
5	सहायक ग्रेड-03
6	मानचित्रकार
7	खनि सर्वेयर
8	कम्प्यूटर ऑपरेटर कम प्रोग्रामर असि०
9	भृत्य
10	खनि सिपाही
11	वाहन चालक


खनि अधिकारी